


भाग-IV
(नोजल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुरस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 107.816 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलनफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेडा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्तों पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:- <ul style="list-style-type: none">• वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए उत्खनन के फलस्वरूप दण्डिक वृक्षारोपण एवं दण्डिक एन.पी.व्ही. की शर्त अधिरोपित की जाय।
----	--	----	--

तिथि: 16.10.2017
स्थान: भोपाल


16/10/17

(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal